

23-6/7.

आरोपी नारायण कुशवाहा सहित अधि. श्री ओ. पी. शर्मा उपस्थित। अपना वकील पत्र प्रस्तुत किया।

आरोपी नारायण कुशवाहा की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 44(2) जा.फौ. का पेश किया। नकल परिवादी अधिवक्ता को दी गयी।

आवेदन पर सुना गया। प्रकरण पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी विद्युत वितरण कंपनी गोहद की ओर से आरोपी नारायण कुशवाहा के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत परिवाद पेश किया गया है जिसमें आरोपी की आवश्यकता है। अतः प्रस्तुत आवेदन बाद विचार स्वीकार कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

आरोपी की ओर से आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. का पेश किया। नकल परिवादी अधिवक्ता को दी गयी।

उभयपक्ष को आवेदन पर सुना गया।

प्रकरण पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में निवेदन किया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। अपराध मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी के विरुद्ध परिवादी के द्वारा यह परिवाद 14866 रुपए की वसूली हेतु पेश किया गया है। प्रकरण में समय लगने की संभावना है तथा आरोपी स्वयं उपस्थित हुए हैं। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी

नारायण  
कुशवाहा



Date of  
Order or  
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Order S

की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन बाद विचार इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आरोपी प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होता रहे तो उसकी ओर से 15000 रुपए की जमानत एवं समान राशि का बंधपत्र प्रस्तुत होने पर उसे छोड़ा जावे।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 30.08.17 को पेश हो।

(विश्व बघिनिबन)

अधीन वीरार विद्या-विद्या

५०५

Date of  
Order or  
proceeding